न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 29 / 2023
(GCMS 2023/119)(212216956641082)

श्री लालचन्द मेघवाल निवासी मु.पो. पक्का सारणा, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (मोबाईल नम्बर 99293--51717)

बनाम

अति. जिला कलक्टर (जिला कोषाधिकारी), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री लालचन्द मेघवाल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी श्री लालचन्द मेघवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अति. जिला कलक्टर (जिला कोषाधिकारी), श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2022 को पेश किया था। जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, इसलिए अपीलार्थी ने जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री लालचन्द मेघवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.07.2022 के द्वारा निम्न सूचना चाही थी:

> उक्त बीमाा संख्या जीपीएफ की वेतन कटौती का विवरण वर्षवार देने की कृपा करे।
> 1. 390741 दिनांक 01.04.1970 से 01.02.1978 तक राजस्व तहसील हनुमानगढ़
> 2. 390741 दिनांक 01.02.1978 से 01.01.1986 उपनिवेशन तहसील सूरतगढ।
> 3. 390741 दिनांक 01.04.1987 उपनिवेशन तहसीलद घडसाना मु0 अनूपगढ, गंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:56:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. 390741 दिनांक 01.05.1987 कार्यालय जिलाधीश महोदय, श्रीगंगानगर
5. 264389 दिनांक 01.12.1980 कार्यालय उपनिवेशन तहसील सूरतगढ नं. 1 श्रीगंगानगर
6. 264389 दिनांक 01.04.1987 उपनिवेशन तहसील घडसाना मु0 अनूपगढ, श्रीगंगानगर
7. 264389 दिनांक 01.05.1987 कार्यालय जिलाधीश, श्रीगंगानगर।
8. 50913971 भा0जी0बीमा दिनांक 01.01.1980 से 01.05.1986 उपनिवेशन तहसील सूरतगढ 01
9. 50913971 भा0जी0बीमा दिनांक 01.04.1987 उपनिवेशन तहसील घडसाना मु0 अनूपगढ श्रीगंगानगर।
10. 50913971 भा0जी0बीमा दिनांक 01.05.1987 कार्यालय जिलाधीश श्रीगंगानगर

कृपया उक्त नकलें भेजनें की कृपा करे।

जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक कोष/गंगा/आर. टी.आई/2023–2024/259 दिनांक 05.07.2023 से अपील का जवाब निम्नानुससार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री लालचन्द मेघवाल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील पत्र एवं अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 10.04.2023 के संबंध में आवेदक/अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक कोष/गंगा/आरटीआई/2023–2024/47 दिनांक 27.04.2023 द्वारा सूचित किया गया था कि वित विभाग के पत्र दिनांक 09.04.2007 के अनुसरण में जिला कोषालय श्रीगंगानगर कार्यालय से संबधित सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु लोक सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:37 IST
Reason: Self Attested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारी, एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर होगें। अतः जिला कोष कार्यालय श्रीगंगानगर से संबंधित आर. टी.आई. के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित नोडल लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। (प्रति संलग्न)

उक्त के साथ निवेदन है कि आवेदक/अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 10.04.2023 द्वारा बिन्दु संख्या 01 से 10 तक की चाही गई सूचना (जीपीएफ, राज्य बीमा एवं भा0 जी0 बीमा की वेतन से कटौती का विवरण) का संधारण इस कार्यालय में नही किया जाता। अतः वांछित सूचना को संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी से लिया जाना समीचीन होगा। इस प्रकार उक्त अपील खारिज की जानी प्रस्तावित है।

संलग्न : उक्तानुसार।

-sd-
(मनोज कुमार मोदी)
कोषाधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और उक्त पत्र की प्रति अपीलार्थी को भी रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई गई है। कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना को संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी से लिया जाना समीचीन होगा और अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचनाएं विभिन्न कार्यालयों से सम्बन्धित हैं और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी** चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है**। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है**। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, **किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है**। इस प्रकार कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील का जो जवाब दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:37 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर